

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/97034

दिनांक: 04/11/2022

संशोधित कार्यालय आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 94872 दिनांक 01.11.2022 के अंतर्गत आंशिक संशोधन किया जाकर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु समस्त नगरीय निकायों में नव नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एमआईएस मैनेजर एवं शहरी रोजगार सहायक एवं संभाग स्तर के समस्त आयुक्त/अधिकाधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, अधीक्षण अभियंता, अधिकाधिकारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखाधिकारी/लेखाकारों का प्रशिक्षण कार्यशाला संभाग मुख्यालय पर अंकित दिनांक को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क. सं.	संभाग	जिला	प्रशिक्षण की दिनांक	प्रशिक्षण स्थल	समय
1	भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर	11.11.2022	भरतपुर	प्रातः 10:00 से
2	कोटा	बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़	14.11.2022	कोटा	
3	अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक	21.11.2022	अजमेर	
4	जोधपुर	जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही	22.11.2022	जोधपुर	
5	बीकानेर	बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर	23.11.2022	बीकानेर	
7		झुंझुनू, सीकर	30.11.2022	सीकर	
8	जयपुर	दौसा, अलवर,	01.12.2022	अलवर	
9		जयपुर	02.12.2022	निदेशालय, जयपुर	
10	उदयपुर	उदयपुर, बंसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद	05.12.2022	उदयपुर	

उक्त कार्यशाला में राज्य स्तर से मुख्य अभियंता (IRGY-U), अधीक्षण अभियंता, मुख्य लेखाधिकारी एवं सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा पोर्टल एवं योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जावेगा। समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशक इस कार्यशाला हेतु उपयुक्त स्थान का चयन करें, जहां पर पर्याप्त बैठक, एलईडी स्क्रीन, मार्क इत्यादि की व्यवस्था एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। निदेशालय स्तर से प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों के द्वारा प्रयुक्त टैक्सी वाहन के भुगतान स्वीकृति मुख्यालय की नगरीय निकाय द्वारा किये जाने की एतद् प्रदान की जाती है।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक 04/11/2022

क्रमांक.एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/97035-295
प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता (IRGY)/अधीक्षण अभियंता/वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी को उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जाकर प्रशिक्षण दिये जाने बाबत।
5. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण कार्यशाला में आपके क्षेत्राधिकार से संबंधित समस्त नगरीय निकायों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यशाला के दौरान अल्पाहार एवं दोपहर के भोजन की व्यवस्था संबंधित नगर निगम से करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. आयुक्त/अधिकाधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान को पालनार्थ।
7. प्रबंधक, सर्किट हाउस कोटा/भरतपुर/उदयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर को प्रस्तावित दिनांक को मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं लेखाधिकारी के लिए कमरों का आरक्षण किये जाने बाबत।
8. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियंता (IRGY)

04/11/2022